

बिहार सरकार
योजना एवं विकास विभाग

स्वीकृत्यादेश

पत्रांक. यो04/S.H.A-17/2018- 46 4/6 /यो0वि0,पटना, दिनांक 12 फरवरी, 2019

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार
विरचन्द पटेल पथ, पटना।

विषय: वित्तीय वर्ष 2018-19 में मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता योजना अंतर्गत उप निदेशक-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, योजना एवं विकास विभाग तथा संबंधित जिला योजना पदाधिकारियों को ₹1,46,84,000.00/- (एक करोड़ छियालीस लाख चौरासी हजार) रुपये की विमुक्ति की स्वीकृति।

राज्य सरकार के सुशासन के कार्यक्रम 2015-20 के अंतर्गत विकसित बिहार के लिए सरकार के सात निश्चयों के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 से मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना का कार्यान्वयन कराया जा रहा है। इस योजना के कार्यान्वयन हेतु प्रत्येक जिला में जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र स्थापित किया गया है जहाँ पर बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना तथा कुशल युवा कार्यक्रम से संबंधित आवेदकों का निबंधन एवं उनके कागजातों का सत्यापन का कार्य किया जा रहा है।

2 जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र के संचालन हेतु बिहार विकास मिशन द्वारा सविदा के आधार पर प्रबंधक, सहायक प्रबंधक, Single Window Operator एवं Multi Purpose Assistant की सेवाएं उपलब्ध करायी गयी है।

3 राज्य स्तर पर आवेदकों की समस्या के त्वरित समाधान हेतु एक कॉल सेंटर की स्थापना की गयी है जिसमें एक Toll Free No., 4 PRI Line एवं एक Leased Line वर्तमान में कार्यरत है।

4 जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र की साफ-सफाई एवं अन्य व्यवस्थाएं Outsourcing के आधार पर किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र की सुरक्षा हेतु गृह रक्षा वाहिनी की सेवाएं ली गयी है।

5. उपर्युक्त के आलोक में वित्तीय वर्ष 2018-19 में कार्यालय व्यय, दूरभाष, विद्युत प्रभार तथा सविदा सेवाएं मद में उप निदेशक-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, योजना एवं विकास विभाग तथा संबंधित जिला योजना पदाधिकारियों को संलग्न विवरणी (अनुलग्नक-क) में उनके नाम के संमुख अंकित राशि स्वीकृत करते हुए कुल 1,46,84,000.00/- (एक करोड़ छियालीस लाख चौरासी हजार) रुपये मात्र के विमुक्ति की स्वीकृति दी जाती है।

6 आउटसोर्सिंग के आधार पर ली गयी सेवाएं तथा गृह रक्षा वाहिनी के मानदेय का भुगतान सविदा सेवाएं मद में आवंटित राशि से नियमानुसार की जायेगी।

7 विमुक्त की गयी राशि का व्यय जिला योजना पदाधिकारी द्वारा जिला पदाधिकारी से आदेश प्राप्त कर की जाएगी।

8. इस पर होने वाला व्यय मुख्य शीर्ष-2235, समाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उपमुख्यशीर्ष-60-अन्य समाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम लघुशीर्ष 200, अन्य कार्यक्रम, मॉग संख्या-35, उपशीर्ष 0117, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता योजना विपत्र कोड 35-2235602000117 के अंतर्गत संलग्न अनुलग्नक 'क' के अनुसार संबंधित विषय शीर्ष के तहत विकलनीय होगा।

9 इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उप निदेशक-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, योजना एवं विकास विभाग तथा संबंधित जिला योजना पदाधिकारी होंगे।


10. आवंटित राशि की व्यय विवरणी प्रत्येक माह संबंधित सभी जिला योजना पदाधिकारी अनिवार्य रूप से विभाग को उपलब्ध करायेगे।

P.T.O.

N.

11. इस पर विभागीय सहायक आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या यो04/S.H.A-17/2018- के टिप्पणी पृष्ठ संख्या 73/टि0 पर प्राप्त है।

अनुलग्नक: यथोक्त।


(राजेश्वर प्रसाद सिंह)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक: यो04/S.H.A-17/2018- 46 (च/0) /यो0वि0,पटना, दिनांक 12 फरवरी, 2019
प्रतिलिपि: सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी को अनुलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव 12/2

ज्ञापांक: यो04/S.H.A-17/2018- 46 (च/0) /यो0वि0,पटना, दिनांक 12 फरवरी, 2019
प्रतिलिपि: उप निदेशक-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, योजना एवं विकास विभाग/सभी जिला योजना पदाधिकारी/विभागीय लेखा एवं बजट शाखा/विभागीय सहायक आंतरिक वित्तीय सलाहकार/आई0टी0 मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को अनुलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव 12/2

ज्ञापांक: यो04/S.H.A-17/2018- 46 (च/0) /यो0वि0,पटना, दिनांक 12 फरवरी, 2019
प्रतिलिपि: श्री प्रमोद कुमार वर्मा, अपर निदेशक, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को अनुलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव 12/2

ज्ञापांक: यो04/S.H.A-17/2018- 46 (च/0) /यो0वि0,पटना, दिनांक 12 फरवरी, 2019
प्रतिलिपि: सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को अनुलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव 12/2

ज्ञापांक: यो04/S.H.A-17/2018- 46 (च/0) /यो0वि0,पटना, दिनांक 12 फरवरी, 2019
प्रतिलिपि: सभी क्षेत्रीय योजना पदाधिकारी, बिहार को अनुलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव 12/2

ज्ञापांक: यो04/S.H.A-17/2018- 46 (च/0) /यो0वि0,पटना, दिनांक 12 फरवरी, 2019
प्रतिलिपि: सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार को अनुलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव 12/2

ज्ञापांक: यो04/S.H.A-17/2018- 46 (च/0) /यो0वि0,पटना, दिनांक 12 फरवरी, 2019
प्रतिलिपि: मिशन निदेशक, बिहार विकास मिशन को अनुलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव 12/2

ज्ञापांक: यो04/S.H.A-17/2018- 46 (च/0) /यो0वि0,पटना, दिनांक 12 फरवरी, 2019
प्रतिलिपि: माननीय मंत्री, योजना एवं विकास विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव 12/2


अनुलग्नक-क

विपत्र कोड-35-2235602000117 अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्वीकृत राशि की विवरणी

(राशि रूपये में)

क्र०	विभाग / जिला का नाम	विस्तृत शीर्ष-13 विषय शीर्ष-01 मद का नाम- कार्यालय व्यय	विस्तृत शीर्ष-13 विषय शीर्ष-03 मद का नाम- दूरभाष	विस्तृत शीर्ष-13 विषय शीर्ष-04 मद का नाम- विद्युत प्रभार	विस्तृत शीर्ष-28 विषय शीर्ष-02 मद का नाम- सविदा सेवाएँ	कुल आवंटित राशि
1	DDO - योजना एवं विकास विभाग		20,00,000			20,00,000
2	अरवल	50,000	3,000	0	0	53,000
3	बाका			1,00,000		1,00,000
4	बेगूसराय	50,000	0	1,00,000	1,00,000	2,50,000
5	भागलपुर	0	0	3,40,000	0	3,40,000
6	भोजपुर	50,000	0	3,00,000	0	3,50,000
7	बक्सर	1,40,000	0	15,000	3,00,000	4,55,000
8	दरभंगा			2,00,000		2,00,000
9	गया	0	0	2,00,000	5,00,000	7,00,000
10	गोपालगंज	0	0	3,00,000	0	3,00,000
11	जमुई	2,00,000	0	3,00,000	2,00,000	7,00,000
12	कटिहार	0	20,000	58,000	0	78,000
13	मधेपुरा	0	0		3,63,000	3,63,000
14	मधुबनी	1,00,000	0	2,50,000	2,00,000	5,50,000
15	मुंगेर	0	0	1,28,000	1,50,000	2,78,000
16	मुजफ्फरपुर	3,00,000	0	10,00,000	2,00,000	15,00,000
17	नालन्दा	0	25,000	4,82,000	5,00,000	10,07,000
18	प० चम्पारण	50,000	0	1,00,000	2,50,000	4,00,000
19	पटना	0	5,000	3,25,000	0	3,30,000
20	पूर्वी चम्पारण	2,00,000	0	2,00,000	1,00,000	5,00,000
21	पूर्णियाँ	50,000	20,000	0	2,50,000	3,20,000
22	सहरसा	0	0	1,00,000	1,50,000	2,50,000
23	समस्तीपुर	1,00,000	0	1,00,000	3,00,000	5,00,000
24	सारण	2,00,000	0	0	0	2,00,000
25	शिवहर	2,00,000	0	1,00,000	2,00,000	5,00,000
26	शेखपुरा	1,50,000	0	1,40,000	2,50,000	5,40,000
27	सितामढ़ी	2,00,000	0	0	6,00,000	8,00,000
28	सुपौल	3,00,000	0	3,00,000	2,00,000	8,00,000
29	वैशाली	0	0	3,20,000	0	3,20,000
कुल		23,40,000	20,73,000	54,58,000	48,13,000	146,84,000

(एक करोड़ छियालीस लाख चौरासी हजार रूपये मात्र)


 (राजेश्वर प्रसाद सिंह)
 सरकार के अपर सचिव
 योजना एवं विकास विभाग
 बिहार, पटना